**<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>**

**<u>24/11/2025</u>**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स जयत्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक काकरला श्रीनिवास और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ जांच के सिलसिले में 20.11.2025 और 21.11.2025 को आठ परिसरों में तलाशी अभियान चलाया।

मेसर्स जनप्रिया ग्रुप, मेसर्स राजा डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, आर.के. रमेश, मेसर्स सत्य साईं ट्रांसपोर्ट, मेसर्स श्री गायत्री होम्स, मेसर्स शिव साईं कंस्ट्रक्शन्स आदि के परिसरों में तलाशी ली गई।
ईडी ने तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फर्म ने भ्रामक प्री-लॉन्च योजनाओं के माध्यम से घर खरीदारों से लगभग 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और वादा किए गए फ्लैट या रिफंड देने में विफल रही।

ईडी की जाँच से पता चला है कि मेसर्स जयत्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फ्लैटों की डिलीवरी न करने से अर्जित अपराध की आय (पीओसी) को वास्तविक व्यावसायिक संबंधों के अभाव में कई संस्थाओं के माध्यम से डायवर्ट और लेयर्ड किया गया था। इनमें से कई संस्थाएँ काल्पनिक या आवासीय परिसरों से संचालित पाई गईं और निवेशकों के धन को गैर-वास्तविक लेनदेन के माध्यम से भेजने के लिए माध्यम के रूप में काम किया, जिससे पीओसी को छिपाने और लेयर्ड करने में मदद मिली।

पीएमएलए की धारा 17 के तहत की गई तलाशी के परिणामस्वरूप डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज़ जब्त किए गए और बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए। ज़ब्त की गई सामग्री में बिना डिलीवर की गई संपत्तियों के रिकॉर्ड, समझौता ज्ञापन, परियोजना भूमि का हस्तांतरण और पीओसी के उपयोग और वर्तमान प्लेसमेंट का खुलासा करने वाली सामग्री शामिल है। प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि निवेशकों के धन का दुरुपयोग करने और वास्तविक खरीदारों को इकाइयाँ (यूनिट्स) आवंटित किए बिना परियोजना भूमि को तीसरे पक्ष को डायवर्ट करने के लिए समन्वित मिलीभगत थी।

मुख्य आरोपी, **काकरला श्रीनिवास** को पहले हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। वह वर्तमान में फरार है। जब्त की गई सामग्री की जाँच की जा रही है और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने तथा पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए आगे की जाँच जारी है।